न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
225/21	09.07.2021	06.05.2025

बउनवान

1. विनोद कुमार पुत्र श्री शमशेर सिंह जाति जाट निवासी शहजादपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

2. शकुन्तला पत्नी सुरेन्द्र
3. मंजीत
4. अंकित पुत्रान सुरेन्द्र
5. पूजा पुत्री सुरेन्द्र
6. धमेन्द्र
7. सुरेश पुत्रान शमसेर सिंह
8. कमला देवी पत्नी शमशेरसिंह जाति जाट निवासी शहजादुपर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– तर0 प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि जमाबन्दी सम्वत 2070 ल0 2073 के खाता स० 155 में वर्णीत आराजी हाल ख0न0 677 रकबा 0.28 हैव0, 682 रकबा 0.54, हैक0, 749/484 रकबा 0.81 हैक०, वाके ग्राम शहजादपुर तह0 मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण के पिता/पति के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की रही है तथा मिन वादी के पिता फौत होने पर आराजी मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है तथा मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है तथा तर० प्रतिवादीगण से आराजी के समबन्ध में कोई विवाद नही है, मात्र सहखातेदार होने के कारण दावा में पक्षकार बनाया गया है।

सुरेश

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

3. यह है कि है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिर्कोड मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण के नाम विरास्त इन्तकाल दर्ज करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन वादी की अनुउपस्थिति में मिन वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही मिन वादी का नाम विनोद कुमार कुमार के स्थान पर जितेन्द्र दर्ज कर दिया । जिस अंकन के राजस्व रिर्कोड में दर्ज रहने से मिन वादी को भारी नुकसान हो रहा है तथा मिन वादी आराजी का समूचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहा है। इसलिए उक्त गलत अंकन काबिले दुरूस्त है। जिसे दुरूस्त किया जावे। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।

4. यह है कि विवादित आराजी मिन वादी की पैत्रिक आराजी रही है, जो जरियें विरास्त मिन वादी को अपने पिता से प्राप्त हुयी है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण के नाम विरास्त इन्तकाल दर्ज करते समय मिन वादी का नाम विनोद कुमार के स्थान पर जितेन्द्र कुमार खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादी के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व जन आधार कार्ड बैंक पास बुक व अन्य दस्तावेज में मिन वादी का नाम विनोद कुमार पुत्र शमशेर ही दर्ज है मात्र उकत राजस्व रिकोंड में ही मिन वादी का नाम जितेन्द्र कुमार दर्ज है, जो गलत है, जबकी मिन वादी का नाम विनोद कुमार है, जो सही है, इसलिए न्यायहित में मिन वादी का नाम राजस्व रिर्कोड में दर्ज जितेन्द्र कुमार के नाम का अंकन को हजफ कर, उसके स्थान पर विनोद कुमार दर्ज किया किया जावे तथा उक्त जितेन्द्र कुमार के नाम का अंकन को हजफ कर, विनोद कुमार दर्ज करने से किसी भी काश्तकार को कोई नुकसान कारित नही होता है तथा राजस्व रिर्कोड में मिन वादी का नाम जितेन्द्र कुमार दर्ज रहने से मिन वादी को काफी परेशानी हो रही है तथा मिन वादी आराजी का समुचित तरीके से उपयोग ओर करने से वंचित हो रहा है, इसलिए न्यायहित में मिन वादी का नाम जितेन्द्र कुमार को इजफ कर, उसके स्थान पर विनोद कुमार दर्ज किया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

5. यह है कि आराजी मुतनाजा में वादी के नाम का गलत इन्द्राज हो जाने से वादी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा वादी अपनी आराजी में नाम गलत इन्द्राज होने से सुविधाजनक तरीके से उपयोग उपभोग करने से महरूम हो रहा है। वादी का नाम गलत लिखा जाने से वादी आराजी का तबादला, क्रेडिट कार्ड बनवाने, आदि से महरूम हो रहा है तथा आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने में परेशानी हो रही है।

6. यह है कि दिनांक 5/7/2021 को मिन वादी को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिर्कोड

उपखण्ड अधिकारी
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

की नकल प्राप्त की तो मिन वादी को जानकारी हुयी कि राजस्व रिर्कोड में मिन वादी का नाम विनोद कुमार के स्थान पर जितेन्द्र दर्ज है, इस पर मिन वादी ने राजस्व रिर्कोड दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी स० 1 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रतिवादी सं० 1 ने राजस्व रिर्कोड दूरुस्त करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम अदालत से नाम दुरूस्त करावो। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती राजस्व रिर्कोड पेश किया जाना लाजिमी आया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
11. अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्त इस अमर की पारित की जाकर जमाबन्दी सम्वत 2070 ल० 2073 के खाता स० 155 में वर्णीत आराजी हाल ख०न० 677 रकबा 0.28 हैक्0, 682 रकबा 0.54, हैक्0, 749ध्484 रकबा 0.81 हैक्०, वाके ग्राम शहजादपुर तह० मुण्डावर तह० मुण्डावर में दर्ज मिन वादी का नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र शमसेरसिह को हजफ किया जाकर, उसके स्थान पर विनोद कुमार पुत्र शमसेरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावे व इसी प्रकार से मिन वादी का नाम राजस्व रिर्कोड में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्ष–1 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 पेश किया गया।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि वादीगण के पिता/पति के कब्जेकाश्त की आराजी है। वादीगण को जरिये विरास्त प्राप्त हुई है। विवादित आराजी में वादी का नाम विनोद कुमार ना होकर जितेन्द्र कुमार दर्ज रिकोर्ड है। जो गलत है क्योकि वादी का दस्तावेजात मे जितेन्द्र कुमार ना होकर विनोद कुमार दर्ज है। विवादित आराजी खसरा नम्बर सैटलमेन्ट सम्वत 2072 से हाल खसरा नम्बर 567, 808 व 827 पैमुद हुए है। इसलिए वादी का

उपखण्ड अधिकारी
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वाद को स्वीकार कर विवादित आराजी में जितेन्द्र कुमार के स्थान पर विनोद कुमार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि तहसीलदार मुण्डावर ने अपनी रिपोर्ट में सही नाम विनोद कुमार पुत्र समशेर सिंह जाति जाट होना अंकित किया गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 567, 808, 827 वाके ग्राम शहजादपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में अंकित जितेन्द्र कुमार को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर विनोद कुमार अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुरेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

ाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
25/21	09.07.2021	06.05.2025

बउनवान

1. विनोद कुमार पुत्र श्री शमशेर सिंह जाति जाट निवासी शहजादपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

2. शकुन्तला पत्नी सुरेन्द्र
3. मंजीत
4. अंकित पुत्रान सुरेन्द्र
5. पूजा पुत्री सुरेन्द्र
6. धमेन्द्र
7. सुरेश पुत्रान शमसेर सिंह
8. कमला देवी पत्नी शमशेरसिंह जाति जाट निवासी शहजादुपर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– तर0 प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री अरूण पण्डित एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 06.05.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है**:–

विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 567, 808, 827 वाके ग्राम शहजादपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में अंकित जितेन्द्र कुमार को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर विनोद कुमार अमल दरामद किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner